

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी-श्री पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
16/2018	04.07.2018	14.06.19

लौहडसी धर्मपत्नी गजराज जाति मीना निवासी डौब तहसील बजीरपुर जिला सवाई
माधोपुर राजस्थान -अपीलार्थी-

बनाम

तहसीलदार, तहसील बजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर

-रेस्पोंडेन्ट -

अपील

अपीलार्थी द्वारा यह अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 321 दिनांक 21.09.2010 तहसीलदार, बजीरपुर इस आशय की पेश की है कि अपीलान्त ने दिनांक 29.08.2008 को भूमि के खातेदार सरवन पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम डौब से उनकी खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि हाल खसरा नम्बर 269 रकवा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 519 रकवा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 रकवा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 560 रकवा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 561 रकवा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 रकवा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 563 रकवा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 564 रकवा 0.12 हेक्टर, 565 रकवा, 0.12 हेक्टर, 618 रकवा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1164/1339 रकवा 0.27 हेक्टर कुल किता 11 कुल रकवा 1.58 हेक्टर वाके ग्राम डौब में स्थित है में से उनका 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रय किया था। दिनांक 16.11.2010 को ग्राम ग्राम जीवली में राजस्व अभियान होने पर अपीलान्त ने उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रार्थना पत्र अभियान में प्रस्तुत किया तथा खातेदारी में नाम चढाये जाने बावत निवेदन किया व समस्त कागजात वही पर दे दिये जिस पर उन्होंने कहा कि अब आप घर जाईये आपका नाम जमाबन्दी में आ जावेगा तथा कोई बात होवेगी तो हम आपको सूचना कर देंगे। जिस पर अपीलान्त अपने काम में व्यस्त हो गयी व अपनी फसल का उपयोग उपभोग करती रही। दिनांक 19.10.2016 को जब अपीलान्त भूमि पर राजस्व जमाबन्दी की नकल लेने के लिये तहसील बजीरपुर में गयी तो मालूम चला कि अभी अपीलान्त का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं आया है जिस पर अपीलान्त ने पटवारी हल्का से जाकर सम्पर्क किया तब उन्होंने कहा कि आपका नामान्तरण तो काफी समय पूर्व ही रहन, वय होने के कारण खारिज कर दिया गया है। जिस पर प्रार्थीयां अपीलान्त ने जाकर मालूम किया तो पता चला कि प्रार्थीया के ससुर ने भूमि पर कृषि ऋण ले

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)




रखा था। चूकता कर नोड्यूज प्राप्त किया तथा नामान्तरकरण आदि की नकल ली जिससे समस्त प्रकरण की जानकारी हुई। भूमि अपीलान्ट की रजिस्टर्ड क्रयशुदा भूमि है तथा सरकारी व राजस्व योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना अत्यन्त आवश्यक है यदि अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं चढवाया गया तो अपीलान्ट को अपूर्ण्य क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्ट का नामान्तरकरण बिना सूचना किये खारिज करने में भारी विधिक भूल की है जो कि निरस्तनीय है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी बल्कि दिनांक 20.10.2016 को नकल आदि लेने से अपीलान्ट को समस्त प्रकरण की जानकारी हुई। इस कारण से अपील जानकारी के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। किन्तु सतर्कतावश अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है इस कारण से अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अपील सुनने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 16.11.2010 को निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थी अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिये नोटिस की गई। रेस्पोंडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित कथनों का दोहरान करते हुए कहा कि अपीलाधीन भूमि में से सरवण पुत्र श्यामलाल से दिनांक-29.08.2008 को उसका हिस्सा 1/6 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। ग्राम जीवली में राजस्व अभियान में दिनांक 16.11.2010 को अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु उसका नामान्तरकरण नहीं खोला गया क्योंकि प्रार्थीया के ससुर विक्रेता ने भूमि पर कृषि ऋण ले रखा था। नकल लेने पर पता चला है कि नामान्तरकरण दिनांक 16.11.2010 को बिना सूचना खारिज कर दिया है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.08.08 क्रम संख्या 540 के अनुसार सरवण पुत्र श्यामलाल मीना निवासी डोब द्वारा भूमि खसरा नम्बर 269 रकवा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 519 रकवा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 रकवा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 560


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (स०मा०)

रकवा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 561 रकवा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 रकवा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 563 रकवा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 564 रकवा 0.12 हेक्टर, 565 रकवा, 0.12 हेक्टर, 618 रकवा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1164/1339 रकवा 0.27 हेक्टर कुल किता 11 कुल रकवा 1.58 हेक्टर वाके ग्राम डौब में से 1/6 हिस्सा श्रीमति लोहडीसी धर्मपत्नी गजराज, जाति मीना निवासी डौब को विक्रय किया गया है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 334 दस्तावेज के आधार पर भरा गया। संपूर्ण हिस्सा रहन होने के कारण नामान्तरकरण दिनांक-16.11.10 को अस्वीकार कर दिया गया। क्रेता अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा ऋण चुकता कर नोड्यूज प्राप्त कर लिया है। इसलिए क्रेता के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति नकल रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन भूमि में से विक्रेता सरवण के हिस्सा 1/6 को क्रय किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी एक सद्भावी क्रेता है। हमारी विनम्र राय में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, वजीरपुर को समस्त पक्षकारान अर्थात भूमि के वर्तमान खातेदारान को पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 16.11.2010 न्यायालय तहसीलदार, वजीरपुर को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, वजीरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त पक्षकारान अर्थात भूमि के वर्तमान खातेदारान को पुनः सुनवाई कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पृथक कर संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक-14.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज कुमार ओझा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (भागई मध्याप्रदेश)
गंगापुर सिटी